



2026:AHC:47868

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7301 वर्ष 2026

बीरेन्द्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : संतोष कुमार सिंह

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आर. पी. शुक्ला तथा प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री आर. पी. शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी सं. 1 को निर्देशित किया जाए कि वह वाद सं. 4343 वर्ष 2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद सं. डी20231506004343) का निस्तारण यथाशीघ्र करे।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का विधि के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करे तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

9 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।